भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 2127

उत्‍तर देने की तारीख : 12 मई, 2016

**दिल्ली विश्वविद्यालय में नियुक्तियां**

**2127. श्री अनुभव मोहंतीः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सभी नियुक्तियों पर रोक लगायी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन उम्मीदवारों, जो आयु सीमा पूरी करने वाले हैं और साक्षात्कार/नियुक्तियों में विलंब होने की स्थिति में पात्रता की सीमा से बाहर हो जाएंगे, के संबंध में उनकी पूर्व पात्रता को देखते हुए अगले अवसर में विचार किया जाएगा, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सभी नियुक्तियों को अंतिम रूप देने के लिए कुलपति अंतिम प्राधिकारी होता है या अंतिम रूप देने से पहले मंत्री जी की सहमति और अनुमोदन आवश्यक है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क) से (ग): दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय ने सूचित किया है कि नियुक्तियां रोकने का इस तरह का कोई आदेश विश्‍वविद्यालय द्वारा नहीं जारी किया गया है। समूह ‘क’ और शिक्षकों के पदों हेतु कार्यकारी परिषद नियुक्ति प्राधिकारी है, समूह ‘ख’ के पदों हेतु प्रो कुलपति नियुक्ति प्राधिकारी है तथा समूह ‘ग’ के पदों (पूर्व के समूह ‘घ’ कर्मचारियों सहित) के लिए नियुक्ति प्राधिकारी कुलसचिव है। जहां तक कॉलेजों का संबंध है, संबंधित कॉलेजों के शासी निकाय उस कॉलेज में कॉलेज कर्मचारियों हेतु नियुक्ति प्राधिकारी हैं। विश्‍वविद्यालय में नियुक्तियों को अंतिम रूप देने के लिए मंत्री की सहमति/अनुमोदन अनिवार्य नहीं है।

\*\*\*\*\*